सं. आईसीएमआर/आरएंडपीसेल/डीपीसी/एलडीसी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029

दिनांक : .08.2026

कार्यालय आदेश

विषय : परिषद मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के पद पर पदोन्नति – के संबंध में।

****

डीपीसी की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, परिषद मुख्यालय के निम्नलिखित मल्टी टास्किंग स्टाफ(एमटीएस) (जी) को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के वेतन मैट्रिक्स स्तर– 2 (₹19,900 – ₹63,200) में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से लागू होगी:-

क्रं.सं.	नाम	टिप्पणी
1.	श्री लक्ष्मण सिंह	अनारक्षित कोटे के अंतर्गत पदोन्नति हेतु अनुशंसित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर पदोन्नति के लिए अपनी स्वीकृति दें तथा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि पदाधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. उनका वेतन केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार नियत किया जाएगा।

4. पदोन्नत पदाधिकारी को पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, अवर श्रेणी लिपिक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।

5. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते है तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

6. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

7. इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-Estt(Res.) के पैरा 5 के अनुसार, उपर्युक्त पदोन्नतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक अपील सं. 629/2022 (विशेष अनुमति याचिका सं. 30621/2011, शीर्षक : जर्नैल सिंह एवं अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध मामले) में पारित होने वाले आगामी आदेशों के अधीन होंगी।

-हस्त-
(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

श्री लक्ष्मण सिंह
एमटीएस (जी), परिषद मुख्यालय

प्रतिलिपि :

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एस.पी.)/अपर महानिदेशक(ए.एस.)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. **प्रभाग प्रमुख, पीएंडसी प्रभाग, परिषद मुख्यालय** — अनुरोध है कि पदोन्नत अधिकारी की स्वीकृति/कार्यभार ग्रहण/पदोन्नति की अस्वीकृति की रिपोर्ट यदि कोई हो तो, तत्काल admin1.hq@icmr.gov.in ई-मेल द्वारा स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को भेजी जाए।
3. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा)।
4. सतर्कता/लेखा – I/VI अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
5. संपर्क अधिकारी (आरक्षण प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी (ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी / बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
9. बजट/गार्ड/जी.एस.एल.आई.एस. फाइल।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।